

अधिसूचना

सा.का.नि(अ.). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, (फोरमैन) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में फोरमैन, समूह "ख" पद, अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, नामतः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, फोरमैन, समूह "ख"(अराजपत्रित) के पद , भर्ती(संशोधित) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
- शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-----------|--|--|-----------------------------------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| फोरमैन | 3* (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)। | चयन। | लागू नहीं। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|--|-------------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं। | नहीं। | लागू नहीं। | 100% प्रोन्नति द्वारा। |

| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p> | <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> | <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> |
|--|--|--|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रोन्नति:- संस्थान के ऐसे तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर बनेगी:</p> <p>(1)सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष;</p> <p>(2) उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य;</p> <p>(3)प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य;</p> | <p>लागू नहीं होता ।</p> |